

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2018—पौष 20, शक 1939

वित्त विभाग
(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्र. 13-25-2017-आनीविइ-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25-2017-आनीविइ-चार, दिनांक 20 मार्च 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, —

- (1) पैरा 1 क्रमांक 3 में शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 2018" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 2019" स्थापित किया जाए.
- (2) पैरा 1 क्रमांक 5 में शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 2018" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 2019" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

पृ. क्रमांक 14-25-2017-आनीविइ-चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 10th January 2018

No. 13-25-2017-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India, read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the department Notification No. 66-25-2017-EPAU-IV, dated 20th March 2017, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification,—

- (1) In para-1 Serial No. 3 of the Notification, for the words and figure "31st January, 2018" the words and figures "31st January, 2019" shall be substituted.
- (2) In para-1 Serial No. 5 of the Notification, for the words and figure "31st January, 2018" the words and figures "31st January, 2019" shall be substituted

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ GOVIL, Principal Secy.